कार्यालय जिलाधिकारी
DSC-SWOSVYS/2/2023-SWUPDES
सीतापुर
दिनांक 16/2/26

EU 834301797/II
1/452687/2026
Dt 16-2-26

सन्दर्भ संख्या:- D/25-26/4054
दिनांक:- 07-02-2026

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग; व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन; चिकित्सा शिक्षा विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम; पशुधन विभाग; कृषि विभाग; कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग; आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; संस्कृति विभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग; बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

3. कुलपति,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़; बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ; बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी; केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी; राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी; नेहरु ग्राम भारती, प्रयागराज; उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ फोरेंसिक साइंस, लखनऊ; लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल कौशल और प्रशिक्षण परिषद, मेरठ; केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।

जिलाधिकारी
सीतापुर
17/2/26

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर जिलाधिकारी
सीतापुर 18/2/26

विषयः स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि शासनादेश संख्या 667/77-1-2024 दिनांक 27.08.2024 के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रक्रियानुसार संस्थानों द्वारा अपलोड किया गया लाभार्थियों का डाटा संस्थान द्वारा वेरीफाई, सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव एवं सम्बंधित विभाग द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात लाभार्थी स्वयं का आधार प्रमाणीकरण किये जाने हेतु पात्रता की सूची में आता है तत्पश्चात ही जनपद स्तर से उसका चयन कर सम्बंधित संस्थान को वितरण हेतु उपकरण प्राप्त कराया जा सकता है।

3. सूच्यनीय है कि योजनान्तर्गत पोर्टल पर उपलब्ध पात्र लाभार्थियों के मध्य वितरण किये जाने हेतु 25 लाख टेबलेट क्रय किया जाना प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त समस्त जनपदों में टेबलेट की आपूर्ति यथाशीघ्र सम्पन्न की जाएगी । वर्तमान में दिनांक 03.02.2026 तक योजना हेतु विकसित डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध विभाग द्वारा लॉक्ड 20,98,383 लाभार्थियों का डाटा, लाभार्थी द्वारा स्वयं का आधार प्रमाणीकरण

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने हेतु शेष है। इस स्थिति में उक्त लाभार्थियों का डाटा डिवाइस वितरण हेतु पात्रता की सूची में तभी सम्मिलित होगा जब उन लाभार्थियो द्वारा अपना आधार प्रमाणीकरण डिजीशक्ति की वेबसाइट https://digishakti.up.gov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से करा लिया गया हो।

आपसे अनुरोध है कि योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को अपने जनपद/विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये यह जानकारी सभी छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुँचायें जाने तथा इस प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सभी लाभार्थियों को योजना का ससमय समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीया,

Digitally signed by
Neha Jain
Date: 06-02-2026
15:08:20

(नेहा जैन)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

2- प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ।

3- कुलसचिव, योजना से सम्बंधित समस्त विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ई -मेल के माध्यम से प्रेषित ।

4- नोडल अधिकारी, योजना से सम्बंधित समस्त संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ई -मेल के माध्यम से प्रेषित ।

(नेहा जैन)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Scanner